सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय
की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

"बी" विंग, छठा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

File No-Review Review/47/JH(Dist-Latehar)/2024-Coord

दिनांक 18.09.2024 को झारखंड राज्य के लातेहार जिले के डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, (एन.सी.एस.टी) द्वारा किए गए दौरे के बाद समीक्षा रिपोर्ट।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

1

आयोग के दौरे के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीया सदस्य(डॉ आशा लकड़ा) के साथ उपस्थित रहे :-

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री एच.आर.मीना	अनुसंधान अधिकारी
2.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीया सदस्य के निजी सचिव
3.	श्री राहुल	अन्वेषक
4.	श्री राहुल यादव	विधिक सलाहकार

दिनांक 18.09.2024 को झारखंड राज्य के लातेहार जिले मे छात्रावासों का दौरा, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के साथ बैठक और लातेहार जिले की समीक्षा बैठक आहूत की गई |

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो देश में अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों की अन्वेषण और निगरानी करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेगा। आयोग को भारत के माननीय राष्ट्रपति को उन सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसी सभी रिपोर्ट संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों के अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने होते हैं।

1: दिनांक : 18.09.2024 सुबह 10:00 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, लातेहार का दौरा|

सुबह 10.00 बजे आयोग की माननीया सदस्य के नेतृत्व में आयोग के दल ने विद्यालय का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्रों से मिली और उनके साथ पूरे छात्रावास का दौरा किया|
वहां छात्रों को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और उनके कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करता है, और इस उद्देश्य के लिए यह आयोग समर्पित है।
आयोग के दल ने निरीक्षण के दौरान पाया कि विद्यालय में कुल 17 शिक्षक हैं, जिनमें से 2 नियमित, 5 पूर्णकालिक और 4 घंटी आधारित शिक्षक हैं। घंटी आधारित शिक्षकों को 180 रुपये प्रति घंटा मिलते हैं। विद्यालय में वर्तमान में 471 छात्राएं हैं, जिनमें से 263 अनुसूचित जनजाति की हैं, और विद्यालय की क्षमता 525 छात्राओं तक है। विद्यालय का दैनिक कार्यक्रम प्रायः 9:00 बजे से 3:00 बजे तक चलता है।

शिक्षक-सह-वार्डन ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर प्रति माह आयोजित किया जाता है, लेकिन चिकित्सक अधिकांश समय उपलब्ध नहीं होते। यदि चिकित्सक उपलब्ध होते हैं, तो एक दिन में सभी छात्राओं का परीक्षण पूरा नहीं हो पाता। विद्यालय के आवासीय परिसर में 180 बिस्तर हैं, जबकि छात्राओं की संख्या वर्तमान में 471 है, जिससे उन्हें प्रति बिस्तर 2 छात्र द्वारा उपयोग में लाया जाता है कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्यालय परिसर में पानी के लिए एक R.O. उपलब्ध है, लेकिन आवासीय परिसर में कोई R.O. नहीं है। छात्राओं की संख्या के अनुसार R.O. की संख्या कम है। विद्यालय में कुल 18 शौचालय और स्नानघर हैं, जिनमें से प्रत्येक तल पर 2 शौचालय और 4 स्नानघर हैं। प्रत्येक शौचालय का उपयोग 78 छात्र और प्रत्येक स्नानघर का उपयोग 39 छात्र करते हैं, जो उनकी संख्या के अनुसार बहुत कम है। कई कक्षों में जल छतों और दीवारों में रिस रहा है, जिसके कारण पुस्तकालय में

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/32/JH(Dist-EastSinghbhum)/2024-Coord (Computer No. 24593)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:03 pm

वाणिज्य की कक्षा चलती है। कक्षा 6 में वर्तमान में किसी छात्र को कोई पुस्तक नहीं मिली है। 69 छात्रों में से केवल 22 को पुरानी पुस्तकें मिली हैं, और छात्र आपस में मिलकर उपयोग करते हैं|

छात्राओं को प्रायः सुबह 4:00 बजे शारीरिक गतिविधियों (पी.टी.) के लिए उठना पड़ता है, जिसके कारण पूरे दिन कक्षाओं के समय उनकी पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय में विद्यालय प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि छात्राओं को पर्याप्त नींद नहीं मिलती है, तो उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनकी अकादमिक प्रदर्शन भी प्रभावित होगा।

2 : दिनांक : 18.09.2024 सुबह 11:00 आदिवासी बालिका छात्रावास, लातेहार, जिला लातेहार का दौरा|

सुबह 11.00 बजे आयोग की की माननीया सदस्य के नेतृत्व में आयोग के दल ने छात्रावास का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्राओं से मिली और उनके साथ पूरे छात्रावास का दौरा किया | छात्रावास का नाम **आदिवासी बालिका छात्रावास, लातेहार** है | वहां छात्रों को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करता है तथा इस उद्देश्य हेतु आयोग समर्पित है।

आयोग की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि छात्रावास में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राएँ रहती हैं। विद्यालय में कुल नामांकन 97 है, वर्तमान में लगभग 80 छात्राएँ छात्रावास में रह रही हैं। छात्रावास में आर.ओ. (पानी शुद्धिकरण मशीन) खराब है, और बिजली की समस्या भी है। छात्रावास में इन्वर्टर है, परंतु उसका उपयोग कमरों में नहीं किया जाता है, जिससे बिजली न होने की स्थिति में छात्राओं को पढ़ने और सोने में कठिनाई होती है। छात्रावास में पुस्तकालय की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि छात्राओं के लिए आवश्यक है।

छात्राओं के खाने से संबंधित कई समस्याएँ हैं। उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता और खाना की सामग्री की व्यवस्था छात्राएं स्वयं करती है । प्रति छात्र 15 किलोग्राम चावल, 1.5 किलोग्राम दाल, और खाना बनाने वाले रसोइया (कुक) के लिए 300 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। खाना पकाने के लिए जिस ईंधन का उपयोग किया जाता है, उसकी रिफिलिंग के लिए अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है, जिससे वर्षा के मौसम में ईंधन खत्म होने पर एल.पी.जी. की रिफिलिंग में काफी समय लग जाता है।

छात्रावास में रात के समय सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं है। पानी की आपूर्ति के लिए चापाकल नहीं है, इसलिए बिजली न होने की स्थिति में पानी की मोटर का उपयोग नहीं हो पाता, जिससे पानी की समस्या उत्पन्न होती है। खेल के मैदान में बल्ब नहीं हैं और खेलने की सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। छात्रावास की वार्डन को मिश्रित (miscellaneous) राशि प्राप्त नहीं हो रही है, जो छात्रावास की जरूरतों के लिए मिलनी चाहिए।

3 : आयोग के दल के द्वारा दिनांक – 05.10.2024 को लातेहार जिले में प्रखण्ड महुआडांड़ , पंचायत नेतरहाट, थाना नेतरहाट के कौरागी बटुआ टोली गाँव का दौरा

आयोग के दल के द्वारा दिनांक – 05.10.2024 को लातेहार जिले में प्रखण्ड महुआडांड़ , पंचायत नेतरहाट, थाना नेतरहाट के कौरागी बटुआ टोली गाँव का दौरा किया गया | दौरे के दौरान गाँववालों से बातचीत और वर्तमान स्थिति के अवलोकन से पता चला कि गाँव में 60 से अधिक घर अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं; यहाँ जो पानी की टंकी लगाई गई थी, वह खराब है, और गाँववाले पीने के लिए झरने का पानी उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, गाँव के सरना स्थल के घेराव को लेकर गाँववालों ने अपनी चिंता व्यक्त की है।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

3

4 : अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ जिला लातेहार में बैठक

आयोग के माननीय सदस्या ने वहां उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए समर्पित है। आयोग भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन के निगरानी और मुल्यांकन में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने एन.सी.एस.टी के अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच करने और एस.टी समुदायों की शिकायतों का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई व् प्रक्रिया पर प्रकाश डाला तथा बताया कि एस.टी समुदाय अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसके दौरान कई याचिकाएं आयोग को प्रस्तुत की गई। चर्चा के दौरान, माननीय सदस्य ने एस.टी समुदाय के सदस्यों और एस.टी संघो के प्रतिनिधियों को एन.सी.एस.टी.ग्राम पोर्टल (www.ncstgrams.gov.in) के बारे में बताया की इसके माध्यम से आदिवासी समुदाय के सदस्य अपनी शिकायतें आसानी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) के पास सीधे तौर पर दर्ज कर सकते है। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय समस्याओं के बारे में आयोग को अवगत करवाया तथा निवारण हेतु निवेदन किया

Figure 1 लातेहार जिले के आदिवासी संगठनो के साथ बैठक के दौरान

चर्चा के दौरान, अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्रभावित करने वाले कई गंभीर मुद्दें की पहचान की गई जो निम्नानुसार है-

I. **ग्रामीण क्षेत्रो मे सड़कों का अभाव :** सड़कों के विकास पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ऐसे कई गाँव है जहाँ वर्तमान मे कोई सड़क नही है|

II. **आवासीय योजना की सेवा प्रदान करना:** राज्य एवं केंद्र सरकार की कई आवासीय योजनाये है परन्तु लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है कई पंचायतों में केवल एक व्यक्ति को लाभ मिला है लोगों तक इनका लाभ नही पहुचं पा रहे है इस विषय में कई प्रखंडो से सामान्य शिकायत आयोग को प्राप्त हुई है|

डा. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
Government of India

File No. Review/32/JH(Dist-EastSinghbhum)/2024-Coord/(Computer No. 24593)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:03 pm

III. **पेंशनधारको की पेंशन प्राप्ति में:** बैठक में आमजन ने आयोग को अवगत कराया की जिन बुजर्गो, विधवा व् विकलांग इत्यादि योजनाओ के माध्यम से जो पेंशन प्राप्ति होती है उसमे समय पर प्रिक्रिया की जाँच न होने पर अत्यंत विलम्ब का सामना करना पड़ता है

IV. **बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों का प्रबंधन :** बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है जिला प्रशासन इन पर कार्रवाई कर आयोग को सूचित करें ।

V. **सरकारी विद्यालयों के बारे में जिले में सामने आए विषय :** सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति को चिंता के विषय के रूप में पहचाना गया है। शिक्षा विभाग को उपस्थिति की नीतियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक उपस्थित हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

VI. **अनुसूचित जनजाति के प्रवासियों का पंजीकरण और सुरक्षा:** अन्य जिलों व् राज्यों में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रवासियों के लिए उचित पंजीकरण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। प्रशासन को इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य जिलों और संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग आवश्यक है।

VII. **अन्य:** वन पट्टा का रिकार्ड होने के बाद भी थाना चंदवालातेहार जिले मे , वन विभाग द्वारा वन पट्टा नहीं दिया जा रहा है राजकीय होमियोपेथिक औषधालय ,को छिपदोहर से लात पंचायत मे स्थानंतर करने के लिए, दोनों के बीच मे की दुरी .मी.कि 22 है जिस कारण लोगों को बहुत समस्या हो रही है आई .टी.आई , – कॉलेज का निर्माण जिला लातेहारबरवाडीह प्रखण्ड मे हु ,आ लेकिन वहा के शिक्षक दूसरे पर प्रखण्ड मे कार्यरत है नेवाड़ी गाँव मे सरकारी विधालय को दूसरी जगह कर दिया जिसमे कई अनुसूचित जनजाति के , | छात्र पड़ते थेप्रखंड बालूमाथ में चार शीट की भूमि थी, जिसमें से एक भोगता समाज के नाम पर पंजीकृत थी। इस भूमि को सामान्य वर्ग के नाम पर पंजीकृत कर दिया गया है, जिससे अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर प्रभाव पड़ा रहा है |सरना स्थल और अन्य ऐसी भूमि, जिनकी बिक्री नहीं की जा सकती, की भी बिक्री की जा रही है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि इससे धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का हनन हो सकता है और समुदाय के अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दवा में भूमि से संबंधित कई शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में भूमि अधिकारों का उल्लंघन, अवैध बिक्री, और अन्य प्रशासनिक समस्याएँ शामिल हैं।

5. अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए लातेहार जिला के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ डॉ .आशा लाकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के द्वारा बैठक की गई।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5

Figure 2लातेहार जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान

आरंभ में उपायुक्त ने आयोग की माननीया सदस्य, अनुसंधान अधिकारी एच.आर.मीना, अन्वेषक श्री राहुल, विधिक सलाहकार श्री राहुल यादव का स्वागत किया। इसके बाद, विभाग-वार आधार पर चर्चा आयोजित की गई। उपस्थित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों ने आयोग की माननीय सदस्या को अपना परिचय दिया। इन परिचयों के बाद आयोग ने लातेहार जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। इस समीक्षा का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुंच और प्रभाव का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करना था कि जिले में अनुसूचित जनजातियों की वांछित उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा किया जाए । प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

<u>आयोग का अवलोकन और अनुशंषाए -</u>

लातेहार जिले के उपायुक्त को एक प्रश्नावली भेजी गई थी, जिसमें जनसांख्यिकी, साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया था। जिला प्रशासन ने इस प्रश्नावली के उत्तर प्रदान किए। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑन-साइट तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ और अनुशंषाए की गई :-

1. **शिक्षा विभाग**: 1.1सभी संकुल स्तर पर बच्चों के कौशल विकास हेतु वादविवाद-, Orientation Program कराने, बच्चों का ड्रॉपआउट रोकने (उनसे संबंधित प्रमाणित आंकड़े आयोग को प्रस्तुत करें), खेलकूद का आयोजन कराने, प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, अवस्थित विद्यालय भवन को ठीक कराने एवं नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक 5 कि की दूरी में .मी.01 उच्च विद्यालय का प्रस्ताव विभाग को भेजने तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कितने प्राथमिकउच्च विद्यालय संचालित हैं एवं उनमें /माध्यमिक/ अनि/कार्यरत नियमितयमित शिक्षकों में कितने अनुसूचित जनजाति के शिक्षक हैं से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जाए। प्रत्येक 5 km पर के विधार्थियों 5 से 1 विद्यालय हो नई शिक्षा नीति के अनुसार 1 मध्य और उच्च ,को स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करें प्रत्येक प्राथमिकविद्यालयों में कुल विधार्थियों एसटी कितना है आयोग को उपलब्ध कराये |

   1.2 जिले में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों की संख्या, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों और छात्रों के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं, साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की पदोन्नति पर जिला प्रशासन कार्रवाई करे और जिन कक्षाओं के छात्रों को पुस्तकें नहीं मिली हैं, उनके लिए जल्द से जल्द पुस्तकों की व्यवस्था की जाए।
2. **आपूर्ति विभाग**:

2.1 जन वितरण प्रणाली की कुल दुकान कितनी है,जिसमे समिति एवं व्यक्तिगत दुकानं आवंटित किया गया है उनकी संख्या उपलब्ध कराये | जिले में कितने MO है और सभी प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी प्रभार में है उनकी भी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराये | अपने – अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों को लाल कार्ड / अन्त्योदय कार्ड का भी लाभ देने के लिए प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जाए |

आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/32/JH(Dist-EastSinghbhum)/2024-Coord (Computer No. 24593)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:03 pm

2.2 जन वितरण प्रणाली कि दुकानों में राशन का वितरण ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। कई ग्रामों में बिजली-सड़क की सुविधा नहीं है एवं बरसात के समय ऑनलाइन के माध्यम से राशन का वितरण करने में कठिनाई होगी। प्रति वर्ष बारिश में 03 माह की अवधि तक सभी संबंधित कार्डधारियों को राशन का वितरण ऑफलाइन के माध्यम से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली के दुकानों में राशन की आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसकी स्थलीय जाँच करें। जिस क्षेत्र में अनलाइन की व्यवस्था नहीं है वहाँ ऑफलाइन किया जाए।

2.3 सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों में अच्छी व्यवस्था बनाने हेतु सूचित करने तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी जन वितरण प्रणाली के दुकानों में राशन वितरण की स्थलीय जाँच एवं ऐसे स्थलों जहाँ राशन उठाव करने हेतु 04 – 05 किलोमीटर से अधिक दुरी तय करना पड़ता है को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव बना कर विभाग को भेजें एंव आयोग को भी सूचित करे और राशन वितरण में होने वाली समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

3. **जिला समाज कल्याण विभाग :** 3.1 लातेहार जिले में पर्यवेक्षक की कुल संख्या कितनी है और आगनबाडी केन्द्रों की संख्या कुल कितनी है आयोग को आकड़े प्रस्तुत करें | कुल आंगनबाड़ी केंद्रों में से कितने अपने भवन हैं और कितने किराये पर चल रहे हैं, यह स्पष्ट करते हुए अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित एव अन्य सभी गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, और बच्चों को वितरित पोषाहार की जानकारी दें। ऐसे गांव और बस्तियां चिन्हित करें जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हैं और 30-35 परिवार रहते हैं। जिले में सेविका-सहायिका की संख्या, अनुसूचित जनजाति की सेविका-सहायिका का विवरण, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षाधारी प्रतिभागियों को प्राथमिकता दें और आंगनबाड़ी केंद्रों को Play School के रूप में विकसित करें। कुपोषित बच्चों के लिए प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाएं और Healthy Baby कार्यक्रम आयोजित करें। सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना के तहत शत-प्रतिशत योग्य लाभार्थियों को अच्छादित कर आयोग को सूचित करें।

3.2 आगनबाडी केन्द्रों को दिया जाने वाले किराये की राशी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराये और पहले और वर्तमान (ग्रामीण और शहरी इलाको में) में क्या राशी दी जा रही है उसकी जानकारी भी आयोग को उपलब्ध कराये और कब से राशि निलम्बित है इसकी भी जानकारी दें |

3.3 जलावन की राशी कितनी उपलब्ध कराई जा रही है अंतिम बार कब दी गई थी इसके आकड़े आयोग को उपलब्ध कराये |

4. **कल्याण विभाग 4.1** कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी, लातेहार द्वारा सूचित किया जाए की वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितने लाभार्थियों को साइकिल का वितरण किया जा चूका है और शेष कितने रहे गये है। छात्रावासो में से कुछ का दौरा किया गया था जिनकी समस्या ऊपर उल्लेखित है और अन्य में मूलभूत सुविधाओं की कमियों को देखते हुए, समय-समय पर निरीक्षण और सुधार की जरूरत है और जिन छात्रावास की क्षमता से अधिक छात्र एवं छात्रांए रहते है इनकी क्षमताओं में बढोत्तरी की जा सकती है । कल्याण विभाग द्वारा जिले में नए छात्रावास G+5 के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है उसकी प्रतिलिपि आयोग को भी भजे |

4.2 धुमकुड़िया के संबंध में 2022-23 और 2023-24 में कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई उनकी स्पष्ट जानकारी आयोग को उपलब्ध कराये। भविष्य की योजनाओं में पानी, शौचालय, रसोई और भंडारण की व्यवस्था शामिल करें ।आवास योजनाओं जैसे बिरसा आवास, अम्बेडकर आवास और प्रधानमंत्री आवास का दोहरा लाभ किसी भी लाभर्थी को ना मिले | दोहरीकरण से बचने के लिए मार्गदर्शिका के अनुसार आवंटन सुनिश्चित करें |

डा. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

7

5. **पुलिस विभाग** 5.1 एस०टी००सी०एस/ सम्बंधित मामले को शिकायत सभी थानों में दर्ज हो और आगे उन शिकायतों को सम्बंधित थाने में स्थानंतरित करें|
5.2 तस्करी और पलायन के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए उपाय सुझाए और पलायन करने वालों का पंजीकरण अनिवार्य करें| मानव तस्करी और पशु तस्करी तस्करी के मामलों पर भी ध्यान दे|
5.3 **एस०टी०/एस०सी० के लिए आतंरिक शिकायत सेल का गठन करें** और अनुसूचित जनजाति के पुलिस पदाधिकारी को इसमें शामिल करें। पुलिस विभाग में एस०टी०/एस०सी० केसों की स्थिति की जानकारी दे, जिसमें से कितने केस हल किए जा चुके हैं और कितने अनुसंधान में हैं यह भी आयोग को बताये|

6. **कृषि विभाग** :- जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार को अनुदानित ट्रैक्टर, पम्प सेट, बीज, और अन्य योजनाओं का समय पर और योग्य लाभुकों को वितरण सुनिश्चित करें| कृषि चास भूमि की उपलब्धता कितनी है और कितने किसान मित्र कार्यरत हैं इनकी जानकारी आयोग को प्रस्तुत करे। के०सी०सी० ऋण के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को किसानों के साथ बैठक कर ऋण उपलब्ध कराये|

7. **स्वास्थ्य विभाग** :- स्वीकृत पद और रिक्त पद की जानकारी आयोग को प्रस्तुत करें और रिक्त पदों पर अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति जल्द से जल्द कराये और करने के बाद आयोग को सूचित करें| सदर अस्पताल, लातेहार की ओ.पी.डी. रोस्टरवार बना कर स्थानीय दैनिक अख़बार में प्रकाशित करें जिससे दूर से आने वाले लोगों अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी होगी और कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए माह में दो शिविर का आयोजन करा सकते है|

8. **वन विभाग :** - पहाड / जंगल में रहने वाले भूमिहीन परिवार / व्यक्ति को 300 Sq Feet भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कराये जा सकते है ताकि पहाड/जंगल में आवासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, अम्बेडकर आवास, बिरसा मुण्डा आवास योजना का लाभ मिल सकें। पहाड़ पर वन भूमि जो समतल हो ऐसी भूमि को जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर, खेल मैदान में परिवर्तित करें और पहाड़ में रहने वाले युवाओं को खेल से जोड़े। वन अधिकार कानून, तथा वन विभाग से अनुसूचित जनजाति को किन-किन योजना से लाभान्वित किया जा सकता हैं, के संबंध में जानकारी आयोग को प्रदान करें| योजनाबद्ध तरीके से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु मुहिम चलाना सुनिश्चित करें। कितने लोगो (भूमि की माप के साथ) को वन पट्टे दिए गये व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से उनकी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाए|

9. **श्रम नियोजन :-** जिले में कुल कितने श्रमिक पंजीकृत है आयोग को कुल पंजीकृत श्रमिक में अनुसूचित जनजाति के कितना श्रमिक, उसमें महिला/पुरुष कितना पंजीकृत है। साथ ही संगठित / असंगठित, कुशल / अर्द्धकुशल श्रमिक के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराये। साथ ही नगर निकाय के श्रमिकों को संगठित ग्रुप में पंजीकृत करने तथा प्रत्येक प्रखण्ड़ में शिविर लगाकर श्रमिकों को कोटिवार पंजीकृत करना सुनिश्चित करेंगे।

10. **मनरेगा :-** जॉब कार्ड, बुर्जुग, महिला, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति की महिला, गर्भवती महिला का पृथक-पृथक आंकडा आयोग को उपलब्ध कराये। जिले में संचालित योजना यथा आवास निर्माण कार्य,

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

File No. Review/32/JH(Dist-EastSinghbhum)/2024-Coord (Computer No. 24593)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:03 pm

तालाब निर्माण, नल-जल योजना, पार्ट कूप निर्माण का प्रखण्डवार विवरण आयोग को उपलब्ध कराये । फ़ोटो खेल के मैदान कितने बने और कितने स्कूल की बाउंड्री के अंदर है इसकी जानकारी भी आयोग को उपलब्ध कराये | स्कूल की बाउंड्री में मैदान होने से पंचायत में रहने वाले युवा को खलने में कोई समस्या है या नहीं इसकी भी जाँच कर आयोग को सूचित करें |

11. जिला स्तर पर भी एक **आतंरिक शिकायत सेल (Internal Grievance Cell)** गठन करते हुए अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी / सहायक की उसमे प्रतिनियुक्ति करें, ताकि छोटे-मोटे शिकायत जिला स्तर पर ही निष्पादित किया जा सकें |

12. DMFT की राशि का उपयोग किन – किन क्षेत्रो में किया जा रहा है आयोग को विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें

जिला प्रशासन के सभी विभागों के अपने संबंधित पंचायतों और ब्लॉकों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की स्पष्टता से पहचान करते हुए विस्तृत श्रेणीबद्ध डेटा का रख-रखाव करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने इन मुद्दों के त्वरित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा लातेहार जिला प्रशासन से सिफारिशों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

आशा लकड़ा
16/10/2024

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

9